

राजस्थान सरकार  
वित्त (बीमा) विभाग

क्रमांक : प.4(72)वित्त/राजस्व/94-लूज

जयपुर, दिनांक : **16 APR 2019**

आदेश

राज्य सरकार द्वारा समसंख्यक आदेश दिनांक 30.03.1995 के द्वारा समस्त कर्मचारियों पर 1 मई, 1995 से समूह व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना लागू की गयी है, जिसके अन्तर्गत प्रत्येक वर्ष राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग के साधारण बीमा निधि कार्यालय से समूह व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा पॉलिसी हेतु अप्रैल माह के वेतन से 220 रुपये प्रीमियम राशि की कटौती की जाती है। इसी क्रम में वर्ष 2019-20 के लिए भी उक्त योजना के अन्तर्गत दिनांक 01.05.2019 से 30.04.2020 की अवधि हेतु 3 लाख रुपये प्रति कर्मचारी बीमाधन की उक्त पॉलिसी हेतु निम्नलिखित दिशा-निर्देश जारी किये जाते हैं—


1. राजस्थान केडर के अखिल भारतीय सेवा के समस्त अधिकारियों सहित राज्य सरकार के समस्त कर्मचारियों एवं अधिकारियों के माह अप्रैल देय मई, 2019 के वेतन से प्रति कर्मचारी 220/- रुपये प्रीमियम की कटौती की जायेगी।
2. समस्त आहरण एवं वितरण अधिकारी उनके अधीनस्थ समस्त कर्मचारियों के वेतन से पे-मैनेजर पोर्टल/ई-ग्रास पोर्टल के माध्यम से कटौती कर कटौती पत्र वेतन बिलों के साथ संलग्न कर कोष कार्यालय को प्रस्तुत करेंगे। डीडीओ द्वारा सभी अधिकारियों/कर्मचारियों से एसआईपीएफ पोर्टल में प्रस्ताव पत्र पूर्ति कराया जाना आवश्यक है। जिन अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा प्रस्ताव पत्र पूर्व में एसआईपीएफ पोर्टल पर ऑन लाईन पूर्ति किये जा चुके हैं तथा जिसमें कोई संशोधन/परिवर्तन किया जाना अपेक्षित नहीं है, उन्हें नवीन प्रस्ताव पत्र ऑन लाईन भरने की आवश्यकता नहीं है। जिन अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा प्रस्ताव पत्र ऑन लाईन नहीं भरा गया है, उनके द्वारा ऑन लाईन प्रस्ताव पत्र अनिवार्य रूप से पूर्ति किया जाना आवश्यक है।
3. दिनांक 01.05.2019 के पश्चात नियुक्त कर्मचारियों पर भी उक्त योजना अनिवार्य रूप से लागू होगी तथा उनके प्रथम वेतन से वर्ष 2019-20 के लिए देय प्रीमियम की राशि रुपये 220/- आई.आर.डी.ए के नियमानुसार प्रोरेटा के आधार पर काटी जायेगी।
4. समस्त आहरण एवं वितरण अधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि किसी भी राज्य कर्मचारी/अधिकारी के माह अप्रैल, 2019 के वेतन बिल को तैयार करते समय उक्त योजना से संबंधित आवश्यक प्रीमियम की कटौती कर ली गई है। जिन कर्मचारियों का माह अप्रैल, 2019 का वेतन यदि किसी भी कारण से आहरित नहीं किया जा रहा है, तो वे निजी स्तर से रुपये 220/- एसआईपीएफ/ई-ग्रास पोर्टल के माध्यम से दिनांक 31.05.2019 से पूर्व साधारण बीमा निधि में जमा करायेगे। इन निर्देशों का कडाई से पालन किया जावे।

  
16/4/19

5. पुलिस विभाग के वर्दीधारी अधिकारी/कर्मचारियों, जिनके प्रीमियम का भुगतान राज्य सरकार द्वारा किया जाता है, उन पर यह योजना लागू नहीं होगी। यह योजना वित्त (नियम) विभाग की अधिसूचना संख्या प.12(6)वित्त/नियम/05 दिनांक 13.03.2006 के अंतर्गत नियुक्त प्रोबेशनर ट्रेनीज पर भी अनिवार्य रूप से लागू होगी।

इस संबंध में प्रक्रिया संबंधी विस्तृत दिशा-निर्देश प्रदान करने हेतु निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रावधानी निधि विभाग, राजस्थान, जयपुर समस्त आहरण एवं वितरण अधिकारियों को अपने स्तर से एक परिपत्र पृथक से जारी कर भिजवाया जाना सुनिश्चित करेंगे।


आज्ञा से,



( वेद प्रकाश गुप्ता )  
संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है -

1. सचिव, माननीय राज्यपाल, राजस्थान, जयपुर।
2. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री, राजस्थान, जयपुर।
3. निजी सचिव, मुख्य सचिव राजस्थान, जयपुर।
4. निजी सचिव, समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख/शासन सचिव/विशिष्ट शासन सचिव।
5. निजी सचिव, विशिष्ट शासन सचिव, वित्त (व्यय) विभाग, राजस्थान, जयपुर।
6. निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रावधानी निधि विभाग, राजस्थान, जयपुर।
7. समस्त विभागाध्यक्ष।
8. समस्त जिला कलक्टर।
9. समस्त जिला एवम् सत्र न्यायाधीश।
10. समस्त कोषाधिकारी/उप कोषाधिकारी।
11. समस्त आहरण एवम् वितरण अधिकारी।
12. तकनीकी निदेशक, वित्त (कम्प्यूटर) विभाग।
13. रक्षित पत्रावली।



संयुक्त शासन सचिव